GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education
माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Amit Yadav (3380)

प्रेषक,

महानिदेशक, माध्यामिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।

प्रेषित,

Mr. Amit Yadav,
S/o. Sh. Jai Narain Yadav

यादी क्रमांक 1/4.2012–आई0ई0डी0–एस0एस0(1)
दिनांक 04.09.2013

विषयः– संसाधन अध्यापक /विशेष अध्यापक (वी0 आई0) के पद पर चयन बारें।

उपरोक्त पद हेतु दिनांक 03.04.2013 के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको उक्त पद के लिये एक वर्ष के अनुबंध आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय, नगीना (मेवात), खण्ड–नगीना, जिला–मेवात में कार्य का निम्नानुसार प्रस्ताव दिया जाता है।

1 अनुबंध आधार पर कार्य की अवधि में आपको मासिक रुपये 18000/– या रुपये 15000/– का पारिश्रमिक दिनांक 05.12.2011 के विज्ञापन के आधार पर देय होगा।

2 आपकी कार्य सेवाएं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा सुनवाई का एक अवसर देते हुये 15 दिन के नोटिस के साथ या एक माह के पारिश्रमिक के साथ बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहें तो आपको कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी / निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, के खाते में जमा करवाना होगा।

3 यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

4 आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'भारतीय संविधान की पालना संबंधी एक निर्धारित शपथ पत्र इस कार्यालय में देना होगा।

5 आपको अपनी अन्तिम शैक्षणिक सस्थान अथवा जहाँ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकारियों से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत करने होंगे।

6 आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

7 आपको जिला सिविल सर्जन, मेवात से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थिति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8 आपको कार्य पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

9 आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी को बुलाया जा सकता है ।

10 आपको विभाग के माध्यम से दिये व सौंपे जाने वाले अन्य 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा। इन 'कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची साथ में संलग्न की जाती हैं।

11 आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12 पुरुष अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगें तथा महिला अभ्यर्थी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13 आप अपना आकस्मिक अवकाश कार्यालय को अग्रिम आवेदन सम्मिलित करवाकर स्वीकृत करा सकते हैं। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत कराना होगा।

14 आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15 यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।

16 आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी /निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगें।

17 आपकी नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यह नियुक्ति माननीय पजांब एवं हरियाणा, उच्च

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

To

Block Education Officer
Block Elementary Education Officer
Bhiwani

Memo No: 1/2-2012-13 IED-SS (1) **Date:- 02-09-13**

Subject: To make an enquiry of the IED resource center GSSS, Misri (Bhiwani).

In continuation of the office letter no. 1/2-2012-13 IED-SS (1) on dated 25-07-13 and the reminder for the same on date 14-08-13 regarding shifting the IED resource center from GSSS, Misri (Bhiwani) to GSSS, Samaspur (Bhiwani). It is also stated that after continuous correspondence through emails/telephonic conversation by Head Office of IED-SS, the concerned BRC-Cum-Principal of GSSS, Misri, District Bhiwani, never submitted any action taken report, utilization certificate of grant which was given under IED component till now. Hence, the Block Education Officer (BEO) and Block Elementary Education Officer (BEEO) are made Enquiry Officers to examine the case on the following grounds:

1. Non production of Utilization Certificate for the development of the Resource Room provided under IED component.
2. Non compliance of orders of shifting of the Resource Room from GSSS, Misri to GSSS, Samaspur, District Bhiwani.
3. Non submission of Action Taken Report for establishment and strengthening of Resource Room.

Hence, you are directed to submit a detail enquiry report on the above mentioned points to the Head Office of IED-SS before 5th September 2013. This letter may be treated as urgent office order.

Coordinator (IED-SS)
For Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst No. 1/2-2012-13 IED-SS (1) **Date:- 02-09-13**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1 PS to W/PSSE for information of W/PSSE.
2 PS to W/DGSE for information of W/DGSE.
3 Accountant General, Haryana
4 District Education Officer (DEO), Bhiwani
5 District Project Coordinator (DPC), Bhiwani
6 Principal GSSS, Misri, (Bhiwani)
7 IT Cell, Shiksha Sadan, Panchkula

Coordinator (IED-SS)
For Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

न्यायलय में कोई भी लम्बित याचिका और भविष्य में नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिक के अन्तिम निर्णय अनुसार मान्य होगी।

18 आपका पद संस्थागत कॉडर होने के कारण स्थानांतरित नहीं होगा।

यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो आप उपरोक्त पद की ज्वाईनिंग, उपस्थिति पत्र मिलने के पंद्रह दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा।

उप–निदेशक (समावेशित शिक्षा)
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृ0क्रमांक–1/4–2012–आई0ई0डी0–एस0एस0(1) दिनांक, पंचकुला 04.09.2013

1 सिविल सर्जन, मेवात को अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण के लिये।
2 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात।
3 प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नगीना (मेवात)।
4 सयोजक, समावेशित शिक्षा, कार्यालय महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला को अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु।

संयोजक (समावेशित शिक्षा)
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

To

All DEO's
All DPC's
All BRC-Cum-Principal's of IED Model School
Haryana

Memo No. 1/2-2012-13 IED-SS (1) **Date:- 03-09-13**

Subject: **Provision of Stationary, Escort Allowance for CWSN studying in classes 9th to 12th, Stipend for all Girl Child (CWSN) under IED-SS.**

In continuation of office letter No. 1/2-2012-13 IED-SS (1) dated 30-08-13 regarding Provision of Stationary, Escort Allowance for CWSN studying in classes 9th to 12th, Stipend for all Girl Child (CWSN) under IED-SS. There are some directions which are compulsory to follow up:

1. Stationary will be provided to all CWSN studying in 9th to 12th Classes.
2. Escort Allowance will be provided to (Totally Blind, Low Vision (if required), Mentally Retarded and Multiple Disability CWSN) only on the basis of Medical Certificate issued by concerned Authority.
3. Stipend will be provided only for Girl CWSN Child (The SC and BPL Girl child alongwith with their disability will get double benefits).
4. Each and every child must be enrolled in UDISE on urgent basis.
5. The CWSN child who is not enrolled in UDISE will also be provided above mentioned facility in the during financial year but the concerned Special Teacher/BRC-Cum-Principal of IED will ensure that the particular CWSN child will be enrolled in UDISE year of 2013-14

The above mentioned points may be duly followed by the special teachers for filling the Annexures which were sent through mail vide letter no. **1/2-2012-13 IED-SS (1)** on dated **30.08.2013** related to the CWSN studying in 9th to 12th classes and will produce to the Head Quarter within 10 Days. The information provided should be duly signed by the BRC-cum-Principal of IED Model School of your block.

3/9/2013

Coordinator (IED-SS)
For Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst No. 1/2-2012-13 IED-SS (1) **Date:- 03-09-13**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. PS to W/PSSE for information of W/PSSE
2. PS to W/DSE for information of W/DSE.
3. All District Elementary Education Officer (DEEO), Haryana
4. All District Project Coordinator (DPC), Haryana
5. All BRC-Cum-Principal's of IED, Haryana
6. IT Cell, Shiksha Sadan, Panchkula

Coordinator (IED-SS)
For Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न० 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253